उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–20/2018–19

ब्रजेश साह

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

24/09/19

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता ब्रजेश साह, पे0–वास्की साह, सा0–बलबड्डा, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अंचल अधिकारी, मेहरमा के डी0बी0 सं0–113 दिनांक–24.08.2018 के द्वारा निर्गत नोटिश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है, जिसके द्वारा मौजा–बलबड्डा थाना नं0–355 गैरमजरूआ खाता अन्तर्गत दाग नं0–264 रकवा 00–02–05 धुर जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिश दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, मेहरमा के डी0बी0 सं0–29/2017 दिनांक–07.02.2018 के द्वारा संयुक्त रूप से वास्की साह एवं गणपत साह, पे0–तुलसी साह, सा0–बलबड्डा थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा को नोटिश दिया गया एवं मौजा–बलबड्डा के गैरमजरूआ खाता के दाग नं0–264 रकवा 00–02–05 धुर अतिक्रमित जमीन का कागजात दिखाने के लिए कहा गया। अपीलकर्त्ता अंचल अधिकारी, मेहरमा के समक्ष उपस्थित हुए एवं कागजात दाखिल किया गया कि उनके द्वारा उक्त जमीन का अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि उनके साथ स्टेट के द्वारा दिनांक–07.10.1949 को बंदोवस्ती की गयी है एवं दिनांक–02.06.2006 को उक्त जमीन का लगान निर्धारण भी किया गया है। अपीलकर्त्ता के कागजात से अंचल अधिकारी, मेहरमा संतुष्ट हुए कि नहीं, लेकिन अंचल अधिकारी, मेहरमा के डी0बी0 सं0–113 दिनांक–24.08.2018 के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिश दिया गया। उसके बाद अपीलकर्त्ता के द्वारा बंदोवस्ती के लिए आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन् को अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा रद्द कर दिया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर गलत ढंग से दखलकार नहीं है, बल्कि बंदोवस्तदार रैयत के रूप में दखलकार है एवं उक्त जमीन पर उनका मकान बना हुआ है। इसलिए अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा निर्गत किया गया

नोटिश सही नहीं है। उन्होंने अंचल अधिकारी, मेहरमा के नोटिश द्वारा दिया गया आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–154/रा0 दिनांक–21.02.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित है कि मौजा–बलबड्डा थाना नं0–355 गैरमजरूआ खाता मौजा सं0–110 खेसरा सं0–264 रकवा 00–06–04 धुर किस्म जमीन परती कदीम भू–अभिलेख में दर्ज है। दाग नं0–264 की भूमि पर वास्की साह वो 'गणपत साह, पिता–तुलसी साह का घर बना हुआ है। इसी दाग नं0–264 के अंदर सड़क भी बना हुआ है। पंजी–2 के अनुसार मौजा–बलबड्डा खाता सं0–69/5 रैयत–गणपत साह, पिता–तुलसी साह, रकवा 00–02–05 धुर जमीन दर्ज है। जिसमें बंदोवस्त वाद सं0 अंकित नहीं है। आवेदक के द्वारा इस संबंध में Extract copy of field Bujharat की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया। जिसमें स्टेट द्वारा बंदोवस्त ता0–07.10.49 बंदोवस्त रकवा 00–02–05 धुर बनाम् गणपत साह, पे0–तुलसी साह, सा0–बलबड्डा दर्ज है। सक्षम पदाधिकारी का आदेश नहीं होने के कारण संदेहास्पद प्रतीत होता है। ब्रजेश साह, पिता–वास्की साह द्वारा बुझारत साक्ष्य के रूप में दिया गया है जो वैध राजस्व कागजात की श्रेणी में नहीं आता है। श्री साह बसौड़ी रैयत तुलसी साह के वारिसान है। ये गृहविहीन रैयत की श्रेणी में नहीं आतें हैं। दाग नं0–264 रकवा 00–06–04 धुर सड़क के किनारे व्यवसायिक दृष्टिकोण की भूमि होने के कारण बंदोवस्ती योग्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अंचल अधिकारी, मेहरमा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बलबड्डा थाना नं0–355 गैरमजरूआ खाता पेज नं0–110 दाग नं0–264 रकवा 00–06–04 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कदीम कहकर दर्ज है। उक्त दाग नं0 के अन्तर्गत रकवा 00–02–05 धुर जमीन का अपीलकर्त्ता के द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिश दिया गया है। चूँकि उक्त सार्वजनिक भूमि है एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन सड़क किनारे होने के कारण व्यवसायिक दृष्टि की भूमि होने के कारण बंदोवस्त योग्य भी नहीं है और अपीलकर्त्ता गृहविहीन श्रेणी में नहीं आतें हैं। अपीलकर्त्ता की ओर से न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपीलवाद में बंदोवस्त से संबंधित वैध कागजात दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश सही एवं नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, मेहरमा के डी0बी0 सं0–113 दिनांक–24.08.2018 से निर्गत आदेश को बरकरार रखा जाता है एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश दिया जाता है कि मौजा–बलबड्डा थाना नं0–355 गैरमजरूआ खाता पेज नं0–110 दाग नं0–264 रकवा 00–02–05 धुर जमीन से दो माह के अंदर अतिक्रमण हटाकर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को देना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/09/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

24/09/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

डी0वी0सं0
162
24.09.21

Seen
Bha Asv.
25.9.21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:53:21 +05:30
Location: 192.168.29.32